

24/6/16 पम्बली राजर्षि लोक अदालत जिले
 के प्रेश हुई। पम्बली का अधिलेखन विभाग
 गैर साधन वकील के प्राप्ता T I का
 जवाब प्रदा करने के लिए नोर्मस के भी अधिक
 समय दिव्य गदा। जवाब प्रस्तुत नही किया
 क्षत। वकील गैर साधन का जवाब वन कले
 हुए प्राप्ता पत्र अध्याई निषेधाजा स्वीकार किया
 जाता है। ला. फैसला दावा गैर साधन के
 दावनु किया जाता है कि साधन की खालेदारी
 भूमि खण्ड 0 515, 601, 612, 613, 615 व 634
 कुल कितो. 6 कुल रकवा 0.67 हे० में मजादत
 मद्रव बल ना करे। ना ही किली डीग व्यक्ति
 सफलता निर्णय पम्बली फैसल सुन्य होकर
 नया से कर की जाकर वाडत वकील
 हमपिला दावा की जावे।

उप जिला कलेक्टर
 हिण्डीन सिटी, जिला करीली